भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1092

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य उत्पादों में मिलावट

1092. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेलों, सब्जियों, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण देश में जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न खाद्य पदार्थों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता चला है;

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ऐसी मिलावट गतिविधियों में संलिप्तता के दोषी पाए गए व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय/कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

खाद्य उत्पादों की बिक्री से जुड़े खाद्य व्यवसायों को विनियमित करने के लिए एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोजक) विनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त

पदार्थ एवं अवशेष) विनियम, 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें खाद्य उत्पादों में पाए जाने वाले कीटनाशक अवशेषों, भारी धातुओं, विषैले तत्वों आदि की अधिकतम अनुमेय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलावट के मामलों सहित मानकों के अनुरूप न पाए गए खाद्य उत्पादों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक–I, II एवं III** में संलग्न है।

एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं में खाद्य मिलावट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए "#मिलावट को ना" जैसे विभिन्न अभियान शुरू किए हैं। इन पहलों में विज्ञापन, शैक्षिक सामग्री तथा ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना शामिल है।
- एफएसएसएआई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर "मिलावट को कैसे रोकें" शीर्षक के अंतर्गत वीडियो, जिनमें दूध एवं दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल आदि सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने के सरल तरीके प्रदर्शित किए गए हैं। ये सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
- उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) की शिकायतें एवं सुझाव वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, एफएसएसएआई हेल्पलाइन, राज्य हेल्पलाइन, ट्विटर, फेसबुक आदि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किए जाते हैं। 'खाद्य सुरक्षा संपर्क पोर्टल' पर प्राप्त शिकायतें ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली का भाग हैं। उक्त शिकायतों का निपटान संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।
- मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) अथवा 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' (एफएसडब्ल्यू) के माध्यम से विशेष रूप से गांवों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम की व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' इकाइयाँ कार्यरत हैं।
- उन्नत एवं उपयोग में सरल 'रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग (रैपिड) किट' पोर्टेबल तथा हाथ में ले जाने योग्य उपकरण हैं। मौके पर ही खाद्य परीक्षण करने के लिए इन किटों हेतु किसी जटिल उपकरण या पारंपरिक अभिकर्मकों की आवश्यकता नहीं होती है।
- 'फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स' खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने में सहायक है। इसमें विश्वसनीय 'त्वरित स्क्रीनिंग परीक्षण' उपलब्ध हैं, जिनसे सामान्य व्यक्ति भी घर पर आसानी से परीक्षण कर सकता है। इसमें छह खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत कुल 107 परीक्षण शामिल हैं, जिनके माध्यम से स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट, सेल्यूलोज, माल्टोडेक्सट्रिन, सैलिसिलिक अम्ल, ग्लूकोज़ आदि मिलावटी तत्वों की पहचान की जा सकती है।

- 'त्वरित परीक्षण से मिलावट की पहचान (डार्ट)' पुस्तिका में दूध एवं दुग्ध उत्पाद, तेल एवं वसा, चीनी एवं मिष्ठान्न, खाद्यान्न एवं उनके उत्पाद, मसाले एवं अन्य खाद्य श्रेणियों के लिए 50 से अधिक त्वरित परीक्षणों का विवरण दिया गया है, जिनके माध्यम से खाद्य मिलावट की पहचान की जा सकती है।
- देश में खाद्य विनियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त 259 प्रयोगशालाओं तथा अपीलीय नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2025-2026 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	**राज्य**	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य नमूनों की संख्या**	**सिविल मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति के साथ निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5,798	429	196	16
3	अरुणाचल प्रदेश	191	10	1	0
4	असम	1,444	117	0	0
5	बिहार	1,850	94	25	0
6	चंडीगढ़	603	53	71	17
7	छत्तीसगढ़	2,065	214	200	2
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	151	0	0	0
9	दिल्ली	1,684	109	32	16
10	गोवा	2,492	321	12	0
11	गुजरात	11,903	824	842	65
12	हरियाणा	2,335	723	1,424	116
13	हिमाचल प्रदेश	1,589	321	359	9
14	जम्मू और कश्मीर	6,546	664	1,368	14
15	झारखंड	1,281	356	73	0
16	कर्नाटक	13,349	537	248	33
17	केरल	16,746	1,863	1,026	330
18	लद्दाख	519	26	12	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12,448	757	1,790	32
21	महाराष्ट्र	7,694	1,335	2,445	8
22	मणिपुर	570	0	1	0
23	मेघालय	388	22	0	0
24	मिजोरम	198	1	0	0
25	नागालैंड	238	13	0	0
26	उड़ीसा	1,110	61	0	0
27	पुदुचेरी	388	84	0	0
28	पंजाब	7,809	1,031	723	25
29	राजस्थान	17,325	4,594	2,695	31
30	सिक्किम	418	7	6	0
31	तमिलनाडु	44,603	3,984	1,359	857
32	तेलंगाना	3,576	398	0	0
33	त्रिपुरा	304	14	0	0
34	उत्तर प्रदेश	39,519	20,427	14,890	342
35	उत्तराखंड	1,937	224	243	5
36	पश्चिम बंगाल	14,737	410	1,837	0
	कुल	**2,23,808**	**40,023**	**31,878**	**1,918**

* वित्त वर्ष 2025–26 के आंकडे अनंतिम हैं और भविष्य में होने वाले प्रयोगशाला परीक्षण और अदालती कार्यवाही के परिणामों के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है।

अनुलग्नक-II

वर्ष 2024-2025 के दौरान मानकों के अनुरूप न होने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य नमूनों की संख्या**	**सिविल मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति के साथ निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	810	4	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5984	514	464	8
3	अरुणाचल प्रदेश	125	9	7	0
4	असम	1705	234	0	0
5	बिहार	2863	124	25	0
6	चंडीगढ़	374	65	116	41
7	छत्तीसगढ़	2069	270	143	6
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	56	0	0	0
9	दिल्ली	2624	130	18	16
10	गोवा	1172	74	11	0
11	गुजरात	12387	901	859	91
12	हरियाणा	2233	500	599	59
13	हिमाचल प्रदेश	1587	293	471	0
14	जम्मू और कश्मीर	6955	651	1,239	29
15	झारखंड	364	138	52	0
16	कर्नाटक	9371	662	283	32
17	केरल	10767	1635	1,088	206
18	लद्दाख	417	45	38	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13920	1635	2,597	22
21	महाराष्ट्र	5403	1250	1,147	0
22	मणिपुर	126	1	2	0
23	मेघालय	388	5	0	0
24	मिजोरम	0	2	0	0
25	नागालैंड	223	11	0	0
26	उड़ीसा	2282	273	27	0
27	पुदुचेरी	173	0	0	0

28	पंजाब	4131	748	333	8
29	राजस्थान	13840	3788	3,114	30
30	सिक्किम	254	0	0	0
31	तमिलनाडु	18071	2240	1,536	492
32	तेलंगाना	3347	324	125	0
33	त्रिपुरा	123	5	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30380	16500	14,920	215
35	उत्तराखंड	1509	140	256	4
36	पश्चिम बंगाल	14502	1217	672	6
	कुल	**170535**	**34388**	**30142**	**1265**

अनुलग्नक-III

वर्ष 2023-24 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य नमूनों की संख्या**	**सिविल मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति **के साथ** निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6439	472	646	8
3	अरुणाचल प्रदेश	501	11	2	0
4	असम	1139	125	0	0
5	बिहार	2806	126	79	0
6	चंडीगढ़	311	49	87	52
7	छत्तीसगढ़	1373	167	86	2
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	185	0	0	0
9	दिल्ली	3412	150	36	12
10	गोवा	599	16	17	0
11	गुजरात	15841	910	1701	65
12	हरियाणा	3485	856	593	47
13	हिमाचल प्रदेश	1618	401	376	2
14	जम्मू और कश्मीर	9057	750	1612	22
15	झारखंड	384	292	59	0
16	कर्नाटक	5492	286	75	16
17	केरल	10792	1304	854	134
18	लद्दाख	638	11	19	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13998	2022	1938	46
21	महाराष्ट्र	5087	1174	154	0
22	मणिपुर	168	3	0	0
23	मेघालय	123	7	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	138	3	3	0

26	उड़ीसा	2003	252	0	0
27	पुदुचेरी	31	0	0	0
28	पंजाब	6041	929	1204	102
29	राजस्थान	18536	3493	2181	12
30	सिक्किम	231	0	0	0
31	तमिलनाडु	18146	2237	2195	478
32	तेलंगाना	6156	973	425	0
33	त्रिपुरा	87	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	27750	16183	14627	163
35	उत्तराखंड	1998	192	332	0
36	पश्चिम बंगाल	5948	414	285	0
	कुल	**170513**	**33808**	**29586**	**1161**

*****